आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Education Department, Government of Sikkim

Chief Ministers' Education Assistance Scheme

सिक्किम सरकार की योजना, जो कमजोर आर्थिक वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने या हर साल पैसे देती है। इसमें राज्य के बाहर, विदेश या कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी आते हैं।

क्या मिल सकता है

सिक्किम के भीतर: स्नातक या डिप्लोमा के लिए प्रति माह Rs 5,000 तक, स्नातकोत्तर के लिए Rs 7,000 और पीएचडी व उससे ऊपर के लिए Rs 10,000 तक। निजी व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में साल में Rs 1,50,000 (स्नातक) या Rs 2,00,000 (स्नातकोत्तर) तक। सिक्किम के बाहर भारत में मासिक दरें Rs 7,000, Rs 9,000 और Rs 12,000 हैं। विदेश में पढ़ाई: साल में Rs 5,00,000 तक। कोचिंग सेंटर: साल में Rs 1,50,000 तक। सही रकम विद्यार्थी की जरूरत और उपलब्ध पैसे पर निर्भर करती है।

किसके लिए है

सिक्किम के मूल निवासी विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और भारत या विदेश की मान्यता प्राप्त संस्था में या पंजीकृत कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी सिक्किम का मूल निवासी हो।
- विद्यार्थी सरकार की परिभाषा के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का हो, और परिवार की सालाना आय सरकार की तय सीमा के भीतर हो।
- विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा संस्था या विदेश की मान्यता प्राप्त संस्था में नामांकित हो, या पंजीकृत कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा हो।
- हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों, दिव्यांगजन विद्यार्थियों और अनाथ बच्चों को खास तरजीह दी जाती है।
- हर साल नवीनीकरण के लिए विद्यार्थी का नामांकित रहना, पिछले सेमेस्टर या साल के सभी पाठ्यक्रम पास करना और पात्रता की शर्तें पूरी करते रहना जरूरी है।

दस्तावेज़

- राजस्व टिकट लगा हुआ तय प्रारूप में आवेदन
- विद्यार्थी या पिता का पहचान प्रमाणपत्र (COI)
- संस्था का बोनाफाइड प्रमाणपत्र
- विद्यार्थी का जन्म प्रमाणपत्र
- विद्यार्थी या पिता का मतदाता पहचान पत्र
- विद्यार्थी का आधार कार्ड
- पिछली कक्षा, सेमेस्टर या साल का पास प्रमाणपत्र या अंकपत्र
- पाठ्यक्रम की फीस का ब्योरा
- बैंक खाते का ब्योरा

आवेदन कैसे करें

1. तय प्रारूप में आवेदन भरें और उस पर राजस्व टिकट लगाएं।
2. अधिसूचना में बताए गए दस्तावेज साथ लगाएं।
3. आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, तशिलिंग सचिवालय, गंगटोक के निर्धारित प्रकोष्ठ में जमा करें, जहां उसकी समीक्षा और जांच होती है।
4. अंतिम मंजूरी के बाद विद्यार्थी की पढ़ाई में प्रगति के हिसाब से सहायता सेमेस्टर के अनुसार, छमाही या सालाना दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://education.sikkim.gov.in/GeneralSection/UploadedFiles/Notification/531806.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/sikkim/sk-chief-ministers-education-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।